(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 03/2026-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. (अ)- एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2025-एकीकृत कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025 जिसे सा.का.नि. 661(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 87 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

“87क.	1211 90 13	इसबगोल के बीज (इसबगोल)”।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/142/2026-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)

अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 10/2025-एकीकृत कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025, को सा.का.नि. 661(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था।